कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प सागर म0प्र0

R-140-II/16

23 NOV 2015

1- जितेन्द्र गुप्ता वल्द जयराम गुप्ता
निवासी शंकरगढ़ रजाखेड़ी तहसील व जिला सागर

2- लवी गुप्ता वल्द बकीलचंद गुप्ता
निवासी शंकरगढ़ रजाखेड़ी तहसील व जिला सागर

-- रिवीजनकर्तागण

// बनाम //

1- प्रमोद कुमार पटेल वल्द रामचरण पटेल

2- श्रीमति सुमनलता पत्नि प्रमोद कुमार पटेल
दोनो निवासी शिवस्थली कालोनी मकरोनिया सागर

3- राजेश पिता लक्ष्मीनारायण दुबे
निवासी राजनगर शंकरगढ़ रजाखेड़ी सागर
तहसील व जिला सागर

-- प्रति रिवीजनकर्तागण

रिवीजन आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0 राजस्व संहिता 1959

रिवीजनकर्ता गण अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय सागर-2 के द्वारा रा0प्र0क्र0 13 अ/70 वर्ष 13-14 में पारित आदेश पत्रिका दिनांक 6-11-15 से दुखित होकर माननीय न्यायालय में उक्त रिवीजन प्रस्तुत कररहे है:

// अपील के तथ्य //

1- यह कि रिवीजनकर्ता गण ग्राम शंकरगढ़ के निवासी है प्रति रिवीजन कर्ता क्र0-1 एवं 2 द्वारा रिवीजनकर्ता गण एवं प्रति रिवीजनकर्ता गण क्र0-3 के विरूद्ध एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 250 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 का दिनांक 24=10 24-1-14 को अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया । अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदनपत्र पर अपने न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध

XXXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-140-II/16 जिला सागर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| 6.1.16 | मेरे द्वारा निगराकार पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के कायमी पर तर्क सुने गए तथा उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया गया।<br><br>तहसीलदार सागर-2 द्वारा उनके प्र.क्र. 13/अ 70/13-14 में पारित आक्षेपित अन्तरिम आदेश दि. 6.11.15 से उनके समक्ष के आवेदन (गैर-निगराकार) के आवेदन पर तर्क सुनने का हवाला लिखते हुए आवेदन स्वीकार कर पक्षकारों को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है।<br><br>गैर-निगराकार पक्ष द्वारा तहसीलदार को दिए गए आवेदन दि. 28.10.15 एवं 9.1.14 में उन व्यक्तियों के नाम लिखे गए हैं जो उनके अनुसार उनकी भूमि पर अवैध निर्माण कर रहे थे, एवं इस आधार पर उन्हें पक्षकार बनाने की मांग की गई है।<br><br>निगराकार पक्ष द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत उत्तर दि. 6-11-15 एवं रा.मं. में प्रस्तुत निगरानी मेमो में यह लिखा गया है कि वे अपनी भूमि पर ही निर्माण कर रहे हैं, एवं बगैर सीमांकन के बेदखली की कार्यवाही गैर-निगराकार पक्ष द्वारा नहीं कराई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नगर दण्डाधिकारी को प्रेषित प्रतिवेदन दि. 29.1.14 में जिस भूमि | |

[कृ. प. उ.

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| 6.1.16 | को गैर-निगराकार अपनी बता रहे हैं, उसे आधी होना नहीं पाया गया है, जिसके बाद गैर-निगराकारगण की अनुपस्थिति के कारण नगर दण्डाधिकारी द्वारा प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया है। अपने तर्क में भी निगराकार अधिवक्ता ने इन्हीं बिन्दुओं को उठाया। | |
| | प्रकरण में परीक्षण एवं विचारोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि तहसीलदार का आक्षेपित आदेश दि. 6.11.15 एक मूक एवं संक्षिप्त आदेश है जिसमें, निर्णय के कारणों एवं आधारों का कोई खुलासा नहीं है। यह उचित नहीं है। | |
| | अतः मैं तहसीलदार सागर 2 को यह निर्देश देता हूँ कि वे अपने न्यायालयीन प्र.क्र. 13/A-70/13-14 में आवेदक/गैर-निगराकार पक्ष की ओर से पक्षकार बनाने संबंधी आवेदन के निराकरण से संबंधित निर्णय स्पष्ट एवं बोलते स्वरूप में अभिलिखित करें, जिसमें वे अपने निर्णय के कारणों एवं आधारों का पूरा खुलासा करें। ऐसा करते समय वे यह अवश्य देख लें कि गैर-निगराकार पक्ष की भूमियाँ कौन-कौन सी हैं एवं क्या उन्हें प्रथम-दृष्ट्या इनपर अन्य व्यक्तियों का कब्जा प्रतीत हो रहा है। आवश्यकतानुसार स्थल निरीक्षण करें/करायें या पूर्व के स्थल कार्यवाही प्रतिवेदनों का सन्दर्भ लें। तदुपरान्त यदि उन्हें ऐसी सम्भावना | |

XXXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-140-II/16 जिला सागर

| स्थान तथा दिनांक | निग-5 कार्यवाही तथा आदेश प्रो5 | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | लगती है कि गैर-निगरानीकार पक्ष की भूमि पर किन्हीं अन्य व्यक्तियों का कब्जा है, तो ऐसे ~~सम्बन्धित~~ व्यक्तियों को, आधार अभिलिखित करते हुए, वे पक्षकार बनाने का निर्णय ले सकते हैं। वे आवश्यकतानुसार विक्रय पत्र या अन्य ऐसे अभिलेख भी देख सकते हैं जिनसे वाद भूमि की सरहदी का ज्ञान होता है। वे समस्त कार्यवाही विवरण एवं आधार सम्मिलित करते हुए, अपने न्यायालय के प्रकरण मे पक्षकार बनाने सम्बन्धी आवेदन का आवश्यकतानुसार बोलते स्वरूप मे, इस रा.मं. के आदेश की उन्हें संसूचना के अधिकतम 6 सप्ताह के भीतर, निराकरण कर, उस पर नवीन आदेश पारित करें। तब तक के लिए उनका आक्षेपित आदेश दि. 6.11.15 प्रभावहीन रहेगा।<br>आदेश पारित।<br>पक्षकार एवं तहसीलदार सूचित हों।<br>प्रकरण समाप्त।<br>दा. द. हो।<br>6.1.16<br>सदस्य। | |

[कृ. प. उ.